UPMO010071152026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, मुरादाबाद
पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-IV), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06124

अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–2188/2026

मुबारीक अली उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र बाबू अली,
निवासी – सीकरी सदरपुर मतलबपुर, थाना छजलैट, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

मु0 अपराध संख्या–154/2026,
धारा–61(1),319(2),338,336(3),340(2) बी0एन0एस0
व 21(4) खान एवं खनिज अधिनियम,
थाना–कांठ, जिला–मुरादाबाद।

29.07.2026

1– आवेदक/अभियुक्त मुबारीक अली द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि, वह यह वचन–पत्र निष्पादित करने के लिए तत्पर है कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। वह यह वचन–पत्र भी निष्पादित करने के लिए तत्पर है कि वह वादी व गवाहान को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा। उसके विरुद्ध लगाये गए आरोप मिथ्या एवं काल्पनिक हैं। उसके कब्जे से कोई भी कूटरचित दस्तावेज बरामद नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा कूटरचित प्रपत्र तैयार किये गए। वह वाहन संख्या–यू0पी0 21 ए 0एन0–5233 का पंजीकृत स्वामी है, उसने अपने वाहन को पैसों पर चलाने हेतु धर्मवीर सिंह को दे रखा था। उसको ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, जैसा कि पुलिस द्वारा दर्शाया गया है। उसने न तो कोई सदोष लाभ प्राप्त किया है और न ही किसी को सदोष हानि पहुँचाई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह दोषसिद्ध अपराधी है। उसके विरुद्ध जो भी आरोप लगाये गए हैं, वे निराधार हैं। उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष व परोक्ष विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है अर्थात् उसकी गिरफ्तारी की प्रबल आशंका बनी हुई है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करने, विवेचना व विचारण में सहयोग करने के लिए तत्पर है। उसके पलायन की कोई सम्भावना नहीं है। उसके संबंध में अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मुरादाबाद के किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.29 17:51:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विचाराधीन नहीं है और न ही निर्णीत हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ पत्र है।

2– मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा राघवेन्द्र सिंह, खान अधिकारी द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 05.07.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, दिनांक 05.07.2026 को प्रातः 09:10 बजे मोबाइल पर प्राप्त शिकायत तहसील कांठ के ग्राम–अहमदपुर नींगू नगला में दिनांक 16.05.2026 से दिनांक 13.08.2026 तक साधारण मिट्टी के खनन परिवहन हेतु श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम–करापुर जलालपुर, थाना–जिला अमरोहा के पक्ष में निर्गत अनुज्ञा पत्र से अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी राघवेन्द्र सिंह, खान अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक, कांठ को फोन पर सूचित किया गया, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक, कांठ द्वारा उ0नि0 संजीव कुमार मय हमराह कां0 सादिक व कां0 1194 अमरजीत सिहं राठौर को जांच हेतु भेजा गया। जांच के क्रम में एक वाहन डम्फर संख्या–यू0पी0 21 ए0एन0–5233 साधारण मिट्टी 11 घन मीटर लदा थाना–कांठ के सामने चौराहे पर पाया गया। वाहन चालक धर्मवीर सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी ग्राम–नन्हेड़ा अलदयालपुर, थाना–अमरोहा देहात, जनपद–अमरोहा से परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले सम्बन्धित प्रपत्र मांगने पर प्रपत्र एमएम–11 संख्या 31102611047501176, जो वाहन संख्या–यू0पी0 21 ए0एन0–5233 के लिये दिनांक 05.07.2026 समय 05:55 ए0एम0 से दिनांक 05.07.2026 समय 03:00 पी0एम0 तक के लिए वैध प्रस्तुत किया गया, जिसे जांच हेतु मुझ अधोहस्ताक्षरी को व्हाट्स एप द्वारा उपल्बध कराया गया, जिसकी जांच एम–चैक एप के द्वारा किये जाने पर प्रपत्र वाहन संख्या–यू0पी0 14 डी0टी0–8498 के लिये दिनांक 04.07.2026 को समय 16:30 बजे से दिनांक 14.07.2026 को समय 22:58 बजे तक वैध प्रदर्शित हुआ, जिससे स्पष्ट है कि वाहन चालक द्वारा कूटरचित तरीके से तैयार अवैध प्रपत्र का उपयोग किया जा रहा था। वाहन चालक से पूछने पर बताया गया कि वाहन स्वामी मुबारिक अली के द्वारा प्रपत्र दिया गया है तथा मिट्टी उपरोक्त रविन्द्र सिंह के परमिट से भरी गयी है। उपरोक्त कृत्य बी0एन0एस0 की सुसंगत धाराओं के अनुसार संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त के क्रम में उक्त वाहन स्वामी, वाहन चालक व अनुज्ञाधारक के विरुद्ध बी0एन0एस0 की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। वादी की तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण रविन्द्र सिंह, ओमवीर व मुबारिक अली के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–61(2), 319(2), 338, 336(3), 340(2)

भारतीय न्याय संहिता व धारा–21(4) खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

3– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विनम्रतापूर्वक सुना तथा पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया।

5– अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित प्रपत्रों का प्रयोग करते हुए अवैध मिट्टी का खनन किया गया है। वादी मुकदमा राघवेन्द्र सिंह, खान अधिकारी द्व ारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 05.07.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, दिनांक 05.07.2026 को प्रातः 09:10 बजे मोबाइल पर प्राप्त शिकायत तहसील कांठ के ग्राम–अहमदपुर नींगू नगला में दिनांक 16.05.2026 से दिनांक 13.08.2026 तक साधारण मिट्टी के खनन परिवहन हेतु श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम–करापुर जलालपुर, थाना–जिला अमरोहा के पक्ष में निर्गत अनुज्ञा पत्र से अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी राघवेन्द्र सिंह, खान अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक, कांठ को फोन पर सूचित किया गया, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक, कांठ द्वारा उ0नि0 संजीव कुमार मय हमराह कां0 सादिक व कां0 1194 अमरजीत सिहं राठौर को जांच हेतु भेजा गया। जांच के क्रम में एक वाहन डम्फर संख्या–यू0पी0 21 ए0एन0–5233 साधारण मिट्टी 11 घन मीटर लदा थाना–कांठ के सामने चौराहे पर पाया गया। वाहन चालक धर्मवीर सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी ग्राम–नन्हेड़ा अलदयालपुर, थाना–अमरोहा देहात, जनपद–अमरोहा से परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले सम्बन्धित प्रपत्र मांगने पर प्रपत्र एमएम–11 संख्या 31102611047501176, जो वाहन संख्या–यू0पी0 21 ए0एन0–5233 के लिये दिनांक 05.07.2026 समय 05:55 ए0एम0 से दिनांक 05.07.2026 समय 03:00 पी0एम0 तक के लिए वैध प्रस्तुत किया गया, जिसे जांच हेतु मुझ अधोहस्ताक्षरी को व्हाट्स एप द्वारा उपल्बध कराया गया, जिसकी जांच एम–चैक एप के द्वारा किये जाने पर प्रपत्र वाहन संख्या–यू0पी0 14 डी0टी0–8498 के लिये दिनांक 04.07.2026 को समय 16:30 बजे से दिनांक 14.07.2026 को समय 22:58 बजे तक वैध प्रदर्शित हुआ। बचाव पक्ष के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से कोई भी कूटरचित दस्तावेज बरामद नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा कूटरचित प्रपत्र तैयार किये गए। संपूर्ण अभियोजन दस्तावेजी साक्ष्य पर

आधारित है। संबंधित वाहन संख्या–यू0पी0 21 ए0एन0–5233 का वह पंजीकृत स्वामी है, उसने अपने वाहन को पैसों पर चलाने हेतु धर्मवीर सिंह को दे रखा था। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये, आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मुबारीक अली का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन रू0 1,00,000/–का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो ज़मानती, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, निम्न शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए :–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

दिनांक 29.07.2026

(अनिल कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।